APP-A
Crim-I

# FORM No. III
## फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम..... कोटा .....

.....................................................................................

सुखविन्दर सिंह ..........बनाम........... सरकार .........

.....................................................................................

LRAct 136 ..........................नं. ........61..........सन्.......2025

दमा.....................................................................................

| .ख ुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/7/25 | राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सुखविन्दर सिंह की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ....17/7/25.......... को पेश हो। | |
| 17/7/25 | पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के खाते में ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा में सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नं0 116 की 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरकरण नं0 72 दिनांक 06.06.1981 से खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि प्रार्थी ने पूर्व खातेदार प्रभू पुत्र कल्याण गिर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1981 को खरीद की थी। तहसील लाडपुरा की हाल सेटलमेंट सम्वत 2038–2057 की कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट विभाग ने उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 155 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नं0 174 रकबा 0.48 है0 कुल किता 2 रकबा 0.91 है0 कायम कर दिया तथा प्रार्थी के पिता का नाम गलत रूप से हरनेक सिंह के स्थान पर हरदेव सिंह दर्ज कर दिया जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व उसके आधार पर दर्ज हुये नामान्तरकरण संख्या 74 मे प्रार्थी के पिता का सही नाम हरनेक सिंह दर्ज है जिसको प्रार्थी दुरुस्त करवाकर सही नाम हरनेक सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी का रिकॉर्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड जन आधारकार्ड, बैंक आदि मे वास्तविक नाम सुखविन्दर सिंह पुत्र हरनेक सिह दर्ज हो रहा है किंतु ग्राम मानपुरा के उक्त राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में प्रार्थी का बोलता नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्दर सिंह पुत्र हरदेव दर्ज होने से तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड जन आधारकार्ड, बैंक में सुखविन्दर सिंह पुत्र हरनेक सिंह दर्ज होने से पृथक पृथक नाम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित वर्णित खसरा नं0 155 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नं0 174 रकबा 0.48 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्दर पुत्र हरदेव सिंह को दुरुस्त फरमाकर सुखविन्दर सिंह पुत्र हरनेक सिंह दर्ज फरमाया जावे।<br>उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड जन आधारकार्ड, बैंक, बेयनामा एवं नामान्तरकरण पत्र का अवलोकन किया गया। संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

मानपुरा पटवार हल्का नयानोहरा में स्थित आराजी प्रार्थी ने पूर्व खातेदार प्रभू पुत्र कल्याण गिर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1981 को खरीद की थी। तहसील लाडपुरा की हाल सेटलमेंट सम्वत 2038–2057 की कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट विभाग ने उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 155 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नं0 174 रकबा 0.48 है0 कुल किता 2 रकबा 0.91 है0 कायम किये। नामांतरकरण पत्र में पटवारी द्वारा भी प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्दर पुत्र हरनेक सिह ही अंकित किया हुआ है परन्तु सहवन से प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्दर पुत्र हरदेव सिह दर्ज हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम सुखविन्दर सिंह पुत्र हरनेक सिंह दर्ज है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नयानोहरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नं0 174 रकबा 0.48 है0 कुल किता 2 रकबा 0.91 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्दर पुत्र हरदेव सिह के स्थान पर सुखविन्दर सिंह पुत्र हरनेक सिंह दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 17/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा